

आपको
बेहतर जानने में
हमारी मदद
कीजिए

अपने ग्राहक को जानिए

तथा

एंटी मनी लॉन्डरिंग

ग्राहक जागरूकता

मनी लॉन्डरिंग तथा आतंकवादी फायनान्सिंग क्या है ?

मनी लॉन्डरिंग यानी काले धन को वैध करने में धन को छल-कपटपूर्ण तरीके से रखा जाता है ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके और किसी को खबर न हो कि उसे किसी गैर कानूनी गतिविधि के ज़रिए कमाया गया है। काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया में इससे जुड़ा व्यक्ति आपराधिक गतिविधि से कमाए गए धन को ऐसे फंड में बदलता है जिससे यह आभास मिलता है कि उसने इसे कानूनी स्रोत से कमाया है।

आतंकवाद को आर्थिक मदद पहुंचाना आतंकवाद के किसी रूप, इसके समर्थक, योजना बनाने वाले या इससे जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से समर्थन प्रदान करता है। आतंकवाद के स्रोत कानून सम्मत हो या नहीं भी हो सकते हैं। दो गतिविधियां आपस में संबंधित हैं क्योंकि काले धन को वैध करने में अनिवार्य रूप से वही तकनीकें शामिल हैं जो कि स्रोतों को छिपाने तथा आतंकवादी फायनान्सिंग हेतु इस्तेमाल करने में अपनायी जाती हैं।

मनी लॉन्डरिंग (काले धन को वैध करना) अपराध क्या है ?

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट 2002 (पीएमएलए) के अनुसार जो कोई भी अपराध की आमदनी से तथा इसे बेदाग सम्पत्ति के रूप में दर्शाने में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने की कोशिश करेगा या जानबूझकर उसमें मदद करेगा या जानबूझ कर उसमें एक पक्ष हो या उससे संबंधित किसी प्रक्रिया में वास्तविक रूप से सम्बद्ध हो या शामिल हो, वह मनी लॉन्डरिंग (काले धन को वैध करने) के अपराध का दोषी होगा।

केवाईसी क्या है ?

केवाईसी का विस्तृत रूप है “नो योर क्लाइंट/कस्टमर”, इसका इस्तेमाल आमतौर पर ग्राहक की पहचान प्रक्रिया के लिए किया जाता है। केवाईसी से बैंकों को अपने ग्राहकों तथा उनके वित्तीय लेन-देनों को जानने/समझने में मदद मिलती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने जोखिमों का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर पाने के साथ-साथ ग्राहकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने में सुविधा होती है।

क्या केवाईसी अनिवार्य है ?

जी हां। यह रेग्युलेटरी तथा कानूनी दोनों प्रकार की अपेक्षा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 29 नवंबर 2004 को ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) स्टैंडर्ड्स – एंटी मनी लॉन्डरिंग (एएमएल) उपायों पर जारी गाइडलाइन्स के अनुसार बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे केवाईसी स्टैंडर्ड्स तथा एएमएल उपायों को शामिल करते हुए एक व्यापक नीति संरचना तैयार करें। 1 जुलाई 2005 से प्रभावी पीएमएलए बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा इंटरमीडिएरीज से अपेक्षा करता है कि वे एक्ट तथा उसके अंतर्गत बनाए गये ‘नियमों’ में निर्धारित केवाईसी व एएमएल के कतिपय न्यूनतम मापदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

बैंक द्वारा क्लाइंट्स (ग्राहकों) की पहचान का सत्यापन कब किया जाएगा !

पीएमएलए के अनुसार, बैंकों को अकाउन्ट खोलते समय या किसी ट्रांजेक्शन पर अमल करने के दौरान ग्राहक के पहचान तथा मौजूदा पते या पतों जिसमें उसका स्थायी पता या पते भी शामिल हैं, बिजनेस की प्रकृति तथा उसकी आर्थिक स्थिति के रिकॉर्ड का सत्यापन करना है।

बैंक को मुझे पहचान के क्या प्रमाण देने होंगे ?

पहचान के सबसे उपयुक्त कागजात वो होते हैं जो सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गये हों, जिनमें फोटोग्राफ, पता तथा हस्ताक्षर हों। जैसे कि व्यक्तियों के लिए ये कागजात : पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, प्रतिरक्षा आईडी कार्ड, फोटो पैन कार्ड, फोटो राशन कार्ड। ये ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होंगे।

व्यक्तिगत से भिन्न अकाउन्ट्स के लिए व्यक्तिगत हस्ताक्षरियों की पहचान हेतु उल्लिखित कागजातों के अलावा निम्नलिखित अपेक्षित होंगे :

सम्पूर्ण प्रॉपरायटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोसायटी, ट्रस्ट, हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) – सेल्स/सर्विस टैक्स/एक्साइज रजिस्ट्रेशन, शॉप्स एंड एस्टाब्लिशमेन्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, पैन आई डी/फर्म का इन्कम टैक्स रिटर्न, फर्म का नाम पानी/बिजली/म्युनिसिपल टैक्स का बिल, पार्टनरशिप्स फर्म्स के लिए पार्टनरशिप डीड।

लिमिटेड तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों हेतु अतिरिक्त रूप से – मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोशिएशन, स्थापना का सर्टिफिकेट, बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयरहोल्डिंग पैटर्न स्थापित करने हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहां फाइल की गयी वार्षिक रिटर्न की कॉपी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहां फाइल किए गये फॉर्म 32 की प्रमाणित कॉपी। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की पहचान करने के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहां फाइल की जानेवाली वार्षिक रिटर्न।

इनके साथ-साथ सोसायटी के लिए – सोसायटी के प्रकार के अनुसार को-ऑपरेटिव सोसायटीज के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेज, बाई लॉज/मेसारेन्डम ऑफ एसोशिएशन/संविधान, जैसी भी स्थिति हो, के सर्टिफिकेट की प्रमाणित फोटो कॉपी। मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएशन/अकाउन्ट खोलने तथा हस्ताक्षर निर्देश हेतु बाईलॉज में सूचीबद्ध प्रबंध समिति/बोर्ड/पदाधिकारी द्वारा पारित रिजॉल्यूशन, पैन कार्ड/पैन आबंटन पत्र।

ट्रस्ट डीड की ट्रस्ट अकाउन्ट्स की कॉपी, चैरिटी कमिशनर आईटी रिटर्न्स द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट तथा ट्रस्ट्स द्वारा चैरिटी कमिशनर को फाइल किए गये रिटर्न्स अकाउन्ट खोलने के लिए ट्रस्टीज द्वारा पारित रिजॉल्यूशन की फोटोकॉपी।

एचयूएफ अकाउन्ट्स के लिए – एचयूएफ का पैन आई डी

कृपया नोट करें कि उपरोक्त सम्पूर्ण सूची या जानकारी नहीं है बल्कि उसकी एक झलक है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी शाखाओं पर हमसे सम्पर्क करें, हमारे फोन बैंकिंग नंबरों पर हमें कॉल करें या हमें info@hsbc.co.in पर लिखें।

केवाईसी प्रयोजन हेतु शाखा पर मुझे किससे सम्पर्क करना होगा

बैंक में आपको अपने रिलेशनशिप मैनेजर या आपका अकाउन्ट खोलने वाले अधिकारी तथा आपके ट्रांजेक्शन्स से संबंधित अधिकारी से मिलना होगा।

बैंक केवाईसी जानकारी का क्या करता है ?

बैंक द्वारा अकाउन्ट खोलने के समय/निरन्तर आधार पर एकत्र की गई ग्राहक के प्रोफाइल से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखा जाता है तथा लागू कानूनों एवं रेग्युलेशन्स के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित होने के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं किया जाता है।

अगर मैं अपेक्षित केवाईसी जानकारी/कागजात बैंक को प्रदान न करूं तो क्या होगा ?

बैंक अकाउन्ट खोलने से मना कर सकता है (अगर आप एक संभावित ग्राहक हैं) या केवाईसी जानकारी/कागजात का न प्रदान किया जाना, उल्लेख करते हुए आपके साथ अपना बैंकिंग संबंध समाप्त कर सकता है (अगर आप एक मौजूदा ग्राहक हैं). तथापि, कतिपय श्रेणियों के ग्राहकों हेतु, जो आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने में सक्षम न हों, बैंक आरबीआई डीबीओडी सर्कुलर नं. एएमएल.बीसी. 28/14.01.001/2005-06 दिनांक 23 अगस्त 2005 में प्रदत्त शिथिलता के अनुसार अकाउन्ट खोलेगा।

HSBC 
The world's local bank